Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X, Impact Factor: 6.280, Volume 11, No. 02, April-June 2021, pp. 108-114

राजस्थान के परम्परागत उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाले विभागः एक अध्ययन

डॉ. पूनम तिवारी *

i.Lrkouk

राजस्थान में प्राचीन काल से ही गाँवों में कुटीर उद्योग विद्यमान थे। यहाँ का प्रत्येक गाँव आत्मनिर्भर था, और साथ ही उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को पड़ौसी क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराया जाता था। विदेशी आक्रान्ताओं के द्वारा इन ग्रामीण उद्योग धन्धों को नष्ट करने का कुचक्र चला और परिणामस्वरूप यह कुटीर उद्योग नष्ट हो गये। विशेष रूप से अंग्रेजी सरकार ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए यहाँ के परम्परागत उद्योगों को निशाना बनाया। अन्ततः इनका अस्तित्व धीरे–धीरे लुप्त सा हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय भाासन ने अंग्रेजों की इस कुनीति को जाना और उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय परम्परागत उद्योगों को पुनः स्थापित करने हेतु नीतियां निर्मित की। राजस्थान सरकार ने भी परम्परागत उद्योगों को पुर्नजीवित करने हेतु अनेक संस्थाएं और विभाग स्थापित किये जो निम्नानुसार है–

उद्योग विभाग : सामान्य परिचय व कार्यों का संक्षिप्त विवरण

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। किसी भी राज्य के आर्थिक विकास में अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रों कृषि, उद्योग एवं सेवा में से उद्योग क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य के औद्योगिक वातावरण का विकास स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग, परम्परागत दस्तकारों के कौशल, उत्पादकता में सुधार, बुनियादी ढाँचे के लिए समुचित प्रावधान, राज्य में उद्यमियों को निवेश हेतु आकर्षित करने हेतु दीर्घकालीन राजकोषीय एवं निवेश प्रोत्साहन नीति के साथ उद्योगों को वित्तीय सहायता पर निर्भर है। तीव्र औद्योगीकरण के लिए राज्य में आधारभूत संरचना के साथ राज्य सरकार की सहायता, सहयोग एवं मार्गदर्शन की महती आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के दृष्टिगत राज्य में उद्योग, हस्तशिल्प, हाथकरघा तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों के द्रुतगति से विकास करने इन्हें मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहायता व सुविधाएँ प्रदान करने हेतु कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग कार्यरत है।

आयुक्त उद्योग विभाग द्वारा मुख्य रुप से राज्य में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहन, इनके उत्पादों के विपणन में सहायता, क्लस्टर विकास, नमक क्षेत्रों का विकास, हस्तशिल्पियों कारीगरों व दस्तकारों का विकास, हथकरघा विकास आदि कार्य किया जाता है। राजस्थान को इको सिस्टम के साथ भारत में सबसे पंसदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभारने हेतु समावेशी, संतुलित, सतत् एवं पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास करने, आधारभूत ढांचा सृजित करने, रोजगार के अवसर सृजित करने, संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से राजस्थान औद्योगिक विकास नीति, 2019 दिनांक 19.12.2019 को जारी की गई है। राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019 दिनांक 17.12.2019 से लागू की गई है।[1]

राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के विलम्बित भुगतान के प्रकरणों में सुनवाई कर, उनका समयबद्ध निस्तारण हेतु दिनांक 08.08.2019 को 4 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदो का गठन किया गया। राज्य में निर्यात प्रोत्साहन हेतु "राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद" का गठन 08.11.2019 एवं "राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद" का गठन 25.10.2019 किया गया।[2]

* पीडीएफ आई.सी.एस.एस.आर. राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

पूर्व में उपभोक्ता हितों के संरक्षण की दृष्टि से सही माप व तौल की सुनिश्चित करने हेतु बाट व माप अधिनियम का क्रियान्वयन आदि कार्य उद्योग विभाग के अधीन ही सम्पादित किये जा रहे थे, किन्तु राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत 30 सितम्बर, 2016 से बाट व माप अधिनियम संबंधी कार्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, विधिक माप विज्ञान एवं उपभोक्ता मामलात विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया है।[3]

विभाग द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (दिनांक 13.12. 2019 से लागू) के माध्यम से कम ब्याज दर पर व्यापार, सेवा एवं विनिर्माण क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा स्वरोजगार हेतु क्षमता में वृद्धि के लिए तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने, परम्परागत हस्तशिल्प, दस्तकारी, शिल्पकारी एवं हाथकरघा आदि हुनरों को जीवन्त रखकर प्रोत्साहित करने तथा इनमें आधुनिकता के सम्मिश्रण हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं सहायता उपलब्ध कराने का कार्य भी किया जा रहा है।

नवीन सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम उद्यमों की सरल स्थापना हेतु उद्यमों को प्रारम्भिक 3 वर्षों में राज्य के विभिन्न एक्ट्स के अधीन दी जाने वाली स्वीकृतियों एवं सम्बन्धित निरीक्षणों से मुक्त करने हेतु राजस्थान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेन्ट एण्ड ऑपरेशन) अध्यादेश, 2019 दिनांक 04.03.2019 को तथा अधिनियम के रूप में दिनांक 17.07.2019 को अधिसूचित किया गया है।[4]

इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत आयुक्त, उद्योग विभाग राज्य में भागीदारी फर्मों के पंजीयन हेतु रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का कार्य भी सम्पादित करता है। सभी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र सहायक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के रुप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज एक्ट, 1960 एवं राजस्थान नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज नियम, 1962 के अन्तर्गत नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज का पंजीयन का कार्य भी किया जाता है। राज्य में 18.09.2015 से उद्यमिता ज्ञापनों की जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी की जाने वाली अभिस्वीकृतियों के स्थान पर भारत सरकार द्वारा उद्योग आधार अभिज्ञापन जारी करने की व्यवस्था ऑनलाइन की गई है।

विभाग द्वारा राज्य में न केवल रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए नये उद्यमियों को उद्योग स्थापना हेतु मुख्यालय एवं जिला स्तर पर स्थापित औद्योगिक मार्गदर्शन ब्यूरो के माध्यम से सभी प्रकार का मार्गदर्शन एवं परामर्श दिया जाता है, बल्कि अन्य विभागों से समन्वय कर अनापत्ति/सहमति की सुविधा भी उपलब्ध करवायी जा रही है। जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से उद्यमियों को राज्य में उद्योग स्थापित करने हेतु मार्गदर्शन, सहायता एवं सुविधाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती है।

वर्तमान में राज्य में 36 जिला उद्योग केन्द्र एवं 8 उपकेन्द्र ब्यावर, फालना, आबूरोड, बालोतरा, मकराना, किशनगढ़, नीमराना एवं सुजानगढ़ कार्यरत हैं।

उद्योग विभाग के प्रमुख कार्य[5]

क्र. सं.	प्रमुख कार्य
1	राज्य में उद्योग संवर्धन में नोडल विभाग की भूमिका निभाना
2	राज्य के औद्योगिक वातावरण का विकास स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग, परम्परागत दस्तकारों के कौशल, उत्पादकता में सुधार, बुनियादी ढांचे के लिए समुचित प्रावधान हेतु आवश्यक कार्यवाही करना एवं नीति बनाना
3	राज्य में उद्यमियों को निवेश हेतु आकर्षित करने हेतु दीर्घकालीन राजकोषीय एवं निवेश प्रोत्साहन नीति निर्माण में सहयोग करना
4	उद्यमिता एंव रोजगार हेतु विभिन्न राजकीय योजनाओं का संचालन करना
5	हस्तशिल्प, हाथकरघा तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों का विकास करना
6	हस्तशिल्पियों, कारीगरों व दस्तकारों की समस्याओं का निवारण करते हुए उनका विकास करना

7	इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत आयुक्त, उद्योग विभाग राज्य में भागीदारी फर्मों के पंजीयन हेतु रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का कार्य सम्पादित करना नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज एक्ट, 1960 एवं राजस्थान नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज नियम, 1962 के अन्तर्गत नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज का पंजीयन करना
8	उत्पादों के विपणन में सहायता करना, इस हेतु मेला, शिविर, संगोष्ठी, सेमिनार कार्यशाला आदि का आयोजन करना
9	औद्योगीकरण के लिए राज्य में आधारभूत संरचना के विकास में सहयोग प्रदान करना, उद्योगों के लिए उनके समुचित क्लस्टर विकास हेतु कार्यवाही करना
10	उद्योगों से संबंधित समस्याओं और औद्योगीकरण में आने वाली बाधाओं के निराकरण में समन्वयकारी भूमिका निभाना

राज्य में उद्योगों की वर्तमान स्थिति (अनुमानित स्थिति 31.03.2019 तक)[6]

क्रम सं.	उद्योग की श्रेणी	संख्या	निवेश राशि (करोड़ रू.)	रोजगार की संख्या
1	वृहद उद्योग	390	132269.20	200764
2	मध्यम उद्योग	254	46106.85	25597
3	योग	644	178376.05	226361

नोटः– राज्य में आज दिनांक तक (दिसम्बर, 2019 तक) कुल लगभग 8.66 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 78500 करोड़ रू. से अधिक की राशि का निवेश हो चुका है और 40 लाख से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है।

उद्योग स्थापना व संचालन से जुड़े विभिन्न चरण व उद्योग विभाग के कार्य[7]

वस्तुतः उद्योग स्थापना से लेकर उसके संचालन तक अनेक चरणों में अनेक स्तरों पर सहयोग एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ सकती है, जिनका सामान्य विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	कार्य	उद्योग विभाग के कार्य
1	उद्योग का पंजीयन	इसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को उद्योग आधार अनुज्ञापन ऑनलाईन जारी करने का प्रावधान है। साथ ही इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एवं नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज एक्ट में भी पंजीयन किया जाता है।
2	उद्योग हेतु भूमि आवंटन	यह कार्य मुख्यतः रीको क्षेत्र में रीको द्वारा किया जाता है। अन्य क्षेत्र में भूमि आरक्षित होने पर उस क्षेत्र में भू–खण्ड आवंटन जिला कलक्टर/आयुक्त उद्योग द्वारा किया जाता है।
3	उद्योग हेतु ऋण वितरण	इसमें रोजगार सृजन व उद्योग संचालन हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के अनुदान व सहायता दी जाती है।
4	उद्योग हेतु प्रशिक्षण	इसमें मुख्यतः हस्तशिल्प/हाथकरघा, चर्म उद्योग आदि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते है।
5	उद्योग हेतु विपणन	उद्योग विभाग इसके लिए उद्योग प्रोत्साहन संस्थान विभिन्न मेले व प्रदर्शनियां आयोजित करता है। अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राउंड रेन्ट सब्सीडी दी जाती है।

उद्योग को प्रारम्भ करने के लिए उद्योग के पंजीयन अथवा ज्ञापन प्राप्त के आधार पर आदि प्राप्त करने से संबंधित महत्वपूर्ण नियम/अधिनियम व प्रावधान

सामान्य तौर पर किसी उद्योग को प्रारम्भ करने के लिए उद्योग के पंजीयन की आवश्यकता नहीं होती, किन्तु उसमें नियोजित होने वाले श्रमिकों, प्रयुक्त होने वाली मशीनरी एवं उत्सर्जित होने वाले प्रदूषण के नियन्त्रण के लिए विभिन्न विभागों के अन्तर्गत संबंधित नियम/अधिनियम पंजीयन कराने अथवा अनापत्ति/ प्रमाणपत्र का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त किसी उद्योग के संचालन हेतु अनेक विभागों की सेवाओं या सुविधाओं की

आवश्यकता होती है, जिसमें उनके द्वारा यथा अपेक्षित उद्योग के पंजीयन क्रमांक की मांग की जाती है। ऐसी स्थिति में सुविधा हेतु कोई उद्यमी उद्योग का पंजीयन अपने अनुरूप नियम या अधिनियम के अन्तर्गत करा सकता है। भारत सरकार की वेबसाइट https://udyogaadhaar.gov.in@ पर जा कर कोई अपने लघु, सूक्ष्म या मध्यम उद्योग के लिए उद्योग

आधार ज्ञापन (UAM) प्रस्तुत कर तत्काल निशुल्क उद्योग आधार प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार भारत सरकार की वेबसाइट https%@@services.dipp.gov.in@lms@iemServices पर जा कर कुछ विहित

औपचारिकताओं की पूर्ति कर कोई अपने वृहद उद्योग के लिए औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन (IEM) प्रस्तुत कर पावती की सूचना (Acknowledgement) प्राप्त कर सकता है।

राजस्थान के सभी 33 जिलों में लगभग 180 संस्थाएं हस्तशिल्प तथा कुटीर उद्योगों का संचालन कर रही है। इनके अतिरिक्त उच्च स्तर पर जो संस्थाएं परम्परागत उद्योगों को जीवित रखे हुए है इस प्रकार है –

- राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
- राजस्थान चरखा संघ
- दी राजस्थान स्मॉल इण्ड्रीस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.
- राजस्थान लघु उद्योग निगम (राजसीको)
- राजस्थान खादी ग्रामोद्योग विद्यालय शिवदासपुरा –जयपुर
- कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान सांगानेर
- खादी और ग्रामोधोग आयोग –भारत सरकार
- जवाहर कला केन्द्र जयपुर
- राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट चित्रकला मूर्तिकला, क्लेआर्ट

यहाँ केवल उन्हीं संस्थाओं अथवा विभागों का उल्लेख किया जा रहा है। जो मुख्य रूप से परम्परागत उघोगों तथा हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन दे रही है –

राजस्थान खादी तथा ग्रामोधोग बोर्ड

राजस्थान में खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से राजस्थान खादी तथा ग्रामोधोग बोर्ड का गठन किया गया। यह विधानसभा में राजस्थान खादी तथा ग्रामोधोग बोर्ड अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अप्रेल 1955 में किया गया। वर्तमान बोर्ड में एक अध्ययक्ष के अतिरिक्त 12 सदस्य है। बोर्ड का मुख्य उद्धेश्य है :– 1. खादी तथा ग्रामोधोग के विकास की योजना बनाना। 2. कार्यक्रम संगठित करना और उनकी क्रियान्विति कराना। 3. निम्न आय वर्ग के लोगों एवं कारीगरों को बोर्ड के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। 4. करीगरों को प्रशिक्षण देना। 5. कच्चे माल की व्यवस्था तथा तैयार माल का विपणन करना। 6. कारीगरों में सहकारी योजना को विकसित करना।[8]

राज्य में प्रमुख रूप से ऊनी एवं सूती खादी का उत्पादन होता है। यहाँ पर देश की 45 प्रतिशत ऊन उत्पादित होती है। वर्तमान में खादी संस्था/समितियाँ की संख्या 144 है कार्यरत है।

बोर्ड द्वारा लधु खादी परियोजनाओं के अन्तर्गत बुनकरों की आय में वृद्धि करना। कार्यस्थल की परिस्थितियों में सुधार किया जा रहा है। तथा उन्नत तकनीक उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अन्तर्गत अनेक खादी संस्थाओं को तथा कोन बाईन्डिंग, प्रिन्ट बान्डिंग, रेड़ी कार्य आदि संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई है।

इस परियोजना की क्रियान्विती हेतु 2019–20 हेतु 29 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। इस समय (2019–20) के अन्तर्गत लगभग 6671 लोग रोजगार प्राप्त कर रहे है।

विभाग खादी की बिक्री तथा प्रोत्साहन हेतु अनेक कार्यक्रम संचालित करा रहा है। ग्राहकों को छूट देकर आकर्षित करना। प्रचार–प्रसार करना, उत्पादनों में सुधार, प्रदर्शनियाँ, प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन, तथा अनेक ग्रमोधोग विकास कार्यक्रमों का संचालन करना है।

राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेन्ट कार्पोरेशन

यह राजस्थान सरकार का उपक्रम है। इसकी स्थापना कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत मार्च 1984 में की गई। यह निगम राज्य के परम्परागत हाथकर्घा उधोग और इससे जुड़े हुये रंगाई छपाई, बंधेज आदि कारीगरों के पारम्परिक व्यवसाय को जारी रखने का ही कार्य नही कर रहा है, बल्कि प्रदेश के बाहर, राज्य के हाथकर्घा उत्पादों को लोकप्रिय बनाकर, प्रभावित करने और बुनकरों के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु अग्रसर है। निगम केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों के अन्तर्गत बुनकरों एवं दस्तकारों की भलाई व विकास की अनेकों योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन करके प्रगति की और अग्रसर है।[9]

दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि. (राजस्थान सरकार का संस्थान)

इस संस्थान की स्थापना अन्य सभी संस्थाओं की भांति भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन जून 1961 में की गई थी। यह संस्थान हस्तशिल्पियों के कल्याण हेतु अपना दायित्व निभा रहा है। इस निगम के उद्धेश्य इस प्रकार से है –

- राज्य के हस्तशिल्पियों के विकास एवं उनके संरक्षण हेतु प्रोत्साहन एवं कल्याणकारी योजनाओं की परिकल्पना तथा संचालन करना।
- राजस्थान के हस्तशिल्प के विपणन हेतु प्रदर्शनी/मेला तथा राजस्थली विक्रय केन्द्रों के माध्यम से प्रयास करना।
- हस्तशिल्प विपणन हेतु नये बाजारों की खोज कर हस्तशिल्पियों को सहायता प्रदान करना।
- लघु उद्योग इकाईयों को राजकीय खरीद तथा खुले बाजार हेतु विपणन सहायता उपलब्ध कराना।
- राजस्थान के हस्तशिल्प के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचार–प्रसार तथा जागरूकता पैदा करना।
- लघु उद्योग इकाईयों को आवश्यकतानुसार कच्चा माल तथा सरलता उपलब्ध कराना।
- राज्य के निर्यातकों/आयातकों को आई.सी.डी. तथा एयर कारगो कॉम्पलैक्स के माध्यम से आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करना।
- राज्य की लघु उधोगों इकाईयों, दस्तकार तथा निर्यातक इकाईयों के लिए अन्य लाभकारी गतिविधियों की परिकल्पना तथा क्रियान्वयन करना।[10]

लाभांश

निगम ने वर्ष 1996–97, 1997–98, 1998–99 के लिए राज्य सरकार को क्रमशः रूपये 25.72 लाख, रूपये 36.01 लाख, व रूपये 51.44 लाख का लाभांश प्रदान किया है।[11]

एयर कारगों कॉम्पलैक्स, जयपुर

(मात्रा मै. टन) (मूल्य रू. लाखों में)

वर्ष	निर्यात		आयात		योग	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2017–18	1917.00	30857.88	1060.00	548426.48	2977.00	579284.36
2018–19	1602.00	287619.01	471.00	222395.72	2073.00	510014.73
2019–20 (दिस. 19 तक)	1088.00	94441.92	234.00	131145.80	1322.00	225587.72

वर्ष 2019–20 में इस इकाई ने माह दिसम्बर 2019 तक रू. 146.04 लाख रूपये का व्यापारावर्त किया है।

- आई.सी.डी. जयपुर व जोधपुर के लिए आउट सोर्सिग कार्य की स्वीकृति प्राप्त करने निरन्तर प्रयासों के उपरान्त सफलता प्राप्त की जा चुकी है। इसी क्रम में आई.सी.डी. जोधपुर में दिनांक 09.12.2014 से कार्य संचालन किया जा चुका है तथा आई.सी.डी. जयपुर में भी माह जून 2015 से कार्य प्रारम्भ कर दिया है। आई.सी.डी. भीलवाड़ा के संचालन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारम्भ होने की पूर्ण सम्भावना है।[12]

आत्मनिर्भर भारत अभियान और हस्तशिल्प

राजस्थान का सांगानेर बगरू में प्रिन्ट 2 हजार करोड़ का करोबार होता है। जयपुरी प्रिन्ट की दुनिया दीवानी है। यहाँ का कपड़ा विश्व में विशेष पहचान रखता है। जयपुर की स्थापना के साथ ही ब्लॉक, प्रिन्टिंग का यह उद्योग अनवरत चल रहा है। सांगानेर में ब्लॉक प्रिन्टिंग के 1500 से अधिक छोटे–बड़े कारखाने चल रहे हैं। बगरू में लगभग 100 इकाईयाँ कार्यरत है। इनके तीन लाख लोग कार्य कर रहे हैं। कोरोना काल में यह व्यवसाय बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। सांगानेर में हाथ के ठप्पे बनाने की 80 दुकाने हैं। इनमें लगभग 200 कारीगर कार्य कर रहे हैं, लगभग 3 लाख लोग इस व्यवसाय में लगे हुए हैं। जयपुर में यह कपड़ा 7 करोड़ का तथा विदेश में 50 करोड़ का प्रतिवर्ष बिकता है।

राजस्थान का भीलवाड़ा सूंटिग–शर्टिंग में दुनिया में अव्वल है। डेनिम में देश में दूसरा स्थान है। सन् 1936 में भीलवाड़ा टेक्सटाइल उद्योग की स्थापना हुई थी। उस समय इसका वार्षिक टर्न ओवर 30 लाख रूपये का था, जो बढ़कर अब 17 हजार करोड़ का हो गया है। यहाँ पर 400 फैक्ट्री, 17000 करोड़ का टर्न ओवर कर रही है। यहाँ पर निर्मित कपड़ा विदेशों में 80 प्रतिशत निर्यात हो रहा है। यहाँ पर जापानी मशीनों का उपयोग हो रहा है। जिनकी कीमत 60 लाख रूपये है। यहाँ पर इस उद्योग में लगभग एक लाख लोग कार्य कर रहे है।

देश की सबसे बड़ी सरसों मण्डी जयपुर बन गयी है। देशभर में 8000 छोटी बड़ी इकाईयाँ यहाँ पर स्थापित है। देश का 40 प्रतिशत सरसों का तेल राजस्थान में उत्पादित हो रहा है। प्रतिवर्ष 7 लाख टन तेल का उत्पादन हो रहा है तथा विदेश में निर्यात हो रहा है। लाखों लोग इस उद्योग से लाभान्वित है। प्रदेश का 12 प्रतिशत तेल उत्पादन अलवर कर रहा है।

जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल की 8 हजार से ज्यादा इकाईयाँ चल रही है। टेक्सटाइल में जोधपुर का दुनिया में नाम है। 5 लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र में रोजगार पाये हुए है। यहाँ करीब 30 हजार करोड़ का कारोबार होता है। हैंडीक्राफ्ट के लिए लकड़ी देश के विभिन्न शहरों से आती है। विदेशी भी हैंडीक्राफ्ट इकाईयां में साझीदार है।

कतिपय सुझाव

राजस्थान में परम्परागत उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है। विदेशों में भी यहाँ के परम्परागत उत्पाद पसन्द किये जा रहे है। आवश्यकता है ऐसे उद्योगों को सरकारी संरक्षण की जिससे उनको सम्बल प्राप्त हो सके। सांगानेरी छपाई का धन्धा विश्व प्रसिद्ध है लेकिन इन उद्योगों को आवश्यक नवीन उपकरण उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था का अभाव है। अतः सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जितनी भी इकाईयाँ इस व्यवसाय में संलग्न है उसकी सूची बननी चाहिए तथा उन्हें बाजार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सरकार को प्रत्येक परम्परागत उत्पाद के प्रचार–प्रसार हेतु मेलों का आयोजन निरन्तर करना चाहिए। इन व्यवसायों में कार्यरत मजदूरों की आय को भी सम्मानजनक तरीके से निर्धारित करना चाहिए। इन उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषण को भी समाप्त करने की योजना बनानी चाहिए। खादी क्षेत्र में लगे कारीगरों को प्रोत्साहित तथा कुशल प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा कच्चा माल व बाजार उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। हमारे परम्परागत उद्योग तभी जीवित रह सकते हैं जब सरकारें इनको उचित संरक्षण प्रदान करेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. प्रगति प्रतिवेदन 2019–2020 : कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं भाासन सचिव कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) राजस्थान, जयपुर, पृ. 1
2. उपरोक्त, पृ. 1
3. उपरोक्त, पृ. 2
4. उपरोक्त, पृ. 2
5. उपरोक्त, पृ. 3
6. उपरोक्त, पृ. 3
7. उपरोक्त, पृ. 4
8. प्रगति प्रतिवेदन 2019–2020 : राजस्थान खादी तथा ग्रामोधोग बोर्ड, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, 302015, पृ. 1
9. प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन 2019–2020 : राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेण्ट कॉर्पोरेशन लि. (राजस्थान सरकार उपक्रम), हाथकर्घा भवन, चौमू हाउस, जयपुर, पृ. 2
10. वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2019–2020 : दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कॉरर्पोरेशन लि. राजस्थान सरकार संस्थान, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर, 302005, पृ. 2
11. उपरोक्त, पृ. 5
12. उपरोक्त, पृ. 12.

♦❐♦